महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार ट्रक ने बाईक को मारी ठोकर,एक की मौत एक घायल

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से बाईक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। मामले की शिकायत धरसींवा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम हिरमी सुहेला बलौदाबाजार निवासी रामकुमार साहू 34 वर्ष पिता रामखिलावन साहू ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 अगस्त को रात 08 बजे के करीब ग्राम कपसदा के पास धरसींवा में प्रार्थी अपने साथी के साथ बाईक से जा रहा था तभी अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया। जिसके चलते अमीत वर्मा 37 वर्ष पिता राधेश्याम वर्मा निवासी ग्राम बिटकूली सुहेला बलौदाबाजार की मौके पर ही मौत हो गई तथा प्रार्थी घायल हो गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ धारा 304,279,337 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

रेंगापारा के जंगल में जवानों ने नक्सली स्मारक किया ध्वस्त

बीजापुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सल प्रभावित इलाके तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंगापारा के जंगल से नक्सलियों द्वारा निर्मित स्मारक को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला बल एवं एसटीएफ की संयुक्त पार्टी रेंगापारा, मंडीमरका की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान संयुक्त पार्टी द्वारा रेंगापारा के जंगलों से नक्सलियों द्वारा बनाये नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया।

ऑटो रिक्सा चालक को ठीक से गाड़ी चलाने कहने पर ,दो महिलाओं के साथ किया मारपीट

रायपुर (आरएनएस)। ऑटो रिक्सा चालक ने महिला के साथ गाली-गलौचकर मारपीट किया। मामले की रिपोर्ट मोवा पण्डरी थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार लोधीपारा पण्डरी निवासी श्रीमती उषा गुप्ता 43 वर्ष पति रहस बिहारी गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 अगस्त को रात 7.45 बजे प्रार्थिया अपने घर से दुकान जा रही थी तभी तेज रफ्तार ऑटो उसके करीब से गाड़ी चलाते हुए निकाला। जिसके चलते पीड़िता का दुपट्टा ऑटो में फंस गया। ठीक से चलाने कहने पर ऑटो चालक गाड़ी से उतरकर गाली-गलौचकर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगा। इसे देखकर बीच बचाव करने आयी परिचित लक्ष्मी गुप्ता को भी ऑटो चालक राजेश त्रिपाठी ने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। जिसके चलते उसके कलाई में दर्द हो रहा है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक राजेश त्रिपाठी के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

युवक को चाकू मारकर किया घायल,दो गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। युवक को चाकू मारकर घायल कर देने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवाजीनगर खुर्सीपार निवासी अमीत सिंह 23 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि 1 अगस्त को प्रार्थी घर का राशन लेने किराना दुकान गया था तथा चावल लेकर वापस पैदल आते समय 8.20 बजे रास्ते में काले रंग की मोटरसाइंकिल में में सवार सन्नी बारी 28 वर्ष पिता अरुण बारी निवासी जलेबी चौक छावनी भिलाई एवं निहाल सिंह उर्फ विक्की 23 वर्ष पिता जसवंत सिंह निवासी जलेबी चौक कैम्प 1 छावनी भिलाई पीड़ित को देखकर रुकने को बोला तथा जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौचकर सन्नी बोला कि विक्की चाकू निकाल आज इसे नही छोड़ेगे। जिसके बाद आरोपियों ने अपने पास रखे बटन चाकू से पीड़ित के पेट में प्राणघातक चोट पहुंचा मौके से भाग गए।

मुखबिर सूचना पर 12 नग बहुमूल्य रत्न हीरा अवैध रूप तस्करी करते रखे रंगे हाथ पकड़ाया

» ग्रामीण की वेशभूषा में बोराई पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा हीरा तस्कर

» थाना बोराई पुलिस की त्वरित कार्यवाही

धमतरी (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आसूचना तंत्र मजबूत करने, सतत पेट्रोलिंग व गस्त सुदृढ़ करने तथा किसी भी प्रकार की सूचना पर तत्काल तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही करने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही वनांचल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों, वस्तुओं, खनिज एवं वन संपदा की खरीदी-बिक्री व तस्करी पर अंकुश लगाने सतत पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया है जिसका बेहतर परिणाम भी नजर आ रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 03/08/2021 को थाना बोराई पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति अपने पास बहुमूल्य रत्न हीरा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक ढूंढते हुए मैनपुर से बनियाडीह की तरफ आ रहे है। उक्त सूचना से थाना प्रभारी बोराई द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नगरी श्री मयंक रणसिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोराई युगल किशोर नाग द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखबिर के बताए अनुसार कार्यवाही हेतु तत्काल रवाना हुए ।

पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल मैनपुर-बनियाडीह तिराहा मेन रोड के पास ग्रामीण की वेशभूषा में घेराबंदी की गई। कुछ ही देर में दो संदेहियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछते हुए संदेहियों की विधिवत तलाशी ली गई। जिस पर उनके जेब से पारदर्शी पॉलीथिन के अंदर सफेद कागज में छोटे-छोटे आकार के 12 नग बेशकीमती हीरा रत्न मिला। बहुमूल्य रत्न हीरा रखने के सम्बंध में कोई कागजात पेश नहीं करने पर उनके कब्जे से बरामद 12 नग हीरा को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया।

बहुमूल्य रत्न हीरा चुराई गयी संपत्ति होने के पूर्ण संदेह होने से मौके पर ही वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना बोराई में धारा 41(1+4) दंप्रसं./379 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को माननीय जेएमएफसी न्यायालय नगरी में रिमांड हेतु पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

01. ईशु शर्मा पिता यशवंत प्रसाद शर्मा उम्र 29 वर्ष साकिन मैनपुर थाना मैनपुर जिला गरियाबंद

02. डगेंद्र नेताम पिता सदाराम नेताम उम्र 26 वर्ष साकिन कांटाकुर्रीडीह थाना केरेगांव जिला धमतरी। सूचना संकलन से लेकर सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री युगल किशोर नाग, प्रधान आरक्षक रिखीराम साहू, आरक्षक रामाधार कोर्राम, दीपक साहू, पूनसिंग साहू, हरीश नेताम शामिल रहे।

हल्दीराम कंपनी का फ्रेन्चाइजी डिस्ट्रीब्यूटर देने का झांसा देकर 2 लाख की ठगी, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। हल्दीराम कंपनी का फ्रेन्चाइजी डिस्ट्रीब्यूटर लेने ऑनलाईन अप्लाई करने पर एक व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। ठग पीड़ित से पंजीयन शुल्क सिक्योरिटी मनी के नाम पर 2 लाख 600 रुपये ऑनलाईन खाते में जमा कराकर धोखाधड़ी किया। मामले की शिकायत टिकरापारा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णानगर थाना टिकरापारा निवासी अक्षर उपनिषद भारती 48 वर्ष पिता स्वामी माधव भारती ने 4 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाईट पर हल्दीराम फ्रेन्चाइजी डिस्ट्रीब्यूटर डब्लू-डब्लू-डब्लू प्रेन्चाइजी इंडिया डांट ओआरजी पर हल्दी राम का एंजेसी लेने के लिए अप्लाई किया था। 17 जुलाई 2021 को करण वर्मा नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाईल नंबर से प्रार्थी के नंबर पर कॉल करके अपना नाम करण वर्मा सेल्स मैनेजर बताते हुए तथा कंपनी के बारे में जानकारी देकर पंजीयन शुल्क सिक्योरिटी मनी की मांग की। जिसके बाद पीड़ित आरोपी के द्वारा बताए अलग-अलग खातों में गुगल पे के माध्यम से 2 लाख 600 रुपये पंजीयन शुल्क व सिक्योरिटी मनी 17 से 20 जुलाई 2021 के मध्य जमा करा दिया। आरोपी की बातों से धोखाधोड़ी होने के अंदेशा पर हल्दीराम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइड पर दिए गए नंबर पर कॉल करके संबंधीत व्यक्ति के बारे में कंपनी में पुछने पर पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति कंपनी में कार्यरत नही है।

गौठानों से जुड़कर स्व सहायता समूह की महिलाएं संवार रहीं अपना भविष्य

» गोधन न्याय योजना बना रोजगार का जरिया

रायपुर (आरएनएस)। किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन गया है। गौठानों से जुड़कर स्व सहायता समूह की महिलाएं अपना भविष्य संवार रहीं है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाएं पूर्ण तन्मयता के साथ वर्मी खाद निर्माण में जुटी हुई है। आत्मा योजना के तहत् महिलाओं को वर्मी खाद बनाने का प्रशिक्षण व खाद उत्पादन के लिए केंचुएं प्रदान किये गये है। इसके अलावा फॉर्म स्कूल का संचालन कर जैविक खाद निर्माण की बारीकियों से उन्हें अवगत कराया गया है। गौठान में स्थापित वर्मी टैंक और वर्मी बेड से महिलाएं खाद बना रही हैं। खाद के पैकिंग के लिए बारदाने, सिलाई मशीन और तौलने के लिए मशीन कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तैयार खाद समितियों के माध्यम से विक्रय हो रहा है। इससे प्राप्त राशि से महिलाएं आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही है।

बिलासपुर जिले में ऐसे ही एक स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्राम ठरकपुर की श्रीमती ममता टेकाम ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा गोबर में केंचुआ डालकर खाद बनाने का तरीका बताया गया है। अब वह गांव से इकट्ठे किए गए गोबर को गौठान में लाने का काम करती है और समूह की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर वर्मी खाद का उत्पादन कर रही हैं। इस कार्य से उन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है और वे सभी खुश है। उसने कहा कि गोधन न्याय योजना से उनके लिए रोजगार एवं पैसा कमाने का जरिया मिला है।

दादा का इलाज कराने आए युवक से लूट, अज्ञात पल्सर सवार लोगों ने धारदार हथियार टिकाकर घटना को दिया अंजाम

» मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। दादा का इलाज कराने रायपुर आये युवक को चाकू दिखाकर अज्ञात बाईक सवार व्यक्तियों ने मोबाईल व 3500 रुपये लूटकर फरार हो गए। मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र भण्डारा निवासी फजल कुरैशी 19 वर्ष पिता अब्दुल शाजिद कुरैशी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि वह अपने दादा का इलाज कराने रायपुर आया हुआ है व पुलिस ट्रांजिट मेस में रुका है। प्रार्थी मंगलवार 3 अगस्त को रात्रि 11.15 बजे ट्रांजिट मेस से अपने बहनोई ढेबर निवास के पास पेंशनबाड़ा पैदल जा रहा था। उसी समय काले रंग के पल्सर मोटरसाइकिल में तीन लड़के उम्र लगभग 25 से 28 वर्ष आकर उससे बैरनबाजार का पता पुछने लगे व उनमें से एक लड़का उसे पीछे से पकड़ लिया और तीनों मिलकर उसे धारदार हथियार टिकाकर उसके जेब से 3500 रुपये एवं एक नग वीवों कंपनी का मोबाईल तथा मोबाईल के कवर में रखा एक यूकों बैंक का एटीएम लूटकर भाग गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। नशीली कफ सिरप बेचने की सूचना पर रायपुर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 74 नग कफ सिरप एवं बिक्री की नगदी रकम 3200 रुपये जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की बीति रात नेहरुनगर ढलान के पास एक व्यक्ति को प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप एक लाल रंग की बैग में रखकर बेचने की सूचना पर मौके पर पहुंच घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ उसके कब्जे से 74 शीशी कफ सिरप प्रत्येक शीशी में 80 एमएल अनुमानित कीमत 8880 रुपये एवं बिक्री की रकम 3200 रुपये बरामद की है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाने वालों की संख्या एक करोड़ से पार

» पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक 1.24 करोड़ टीके लगाए गए

» 45 वर्ष से अधिक के 89 प्रतिशत नागरिकों को लगाया जा चुका है कोरोना से बचाव का पहला टीका

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवाने वालों की संख्या एक करोड़ से पार हो गई है। प्रदेश में 3 अगस्त तक एक करोड़ 11 हजार 363 लोगों को इसका पहला टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक कुल एक करोड़ 24 लाख 13 हजार 724 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 24 लाख दो हजार 361 नागरिकों को दोनों टीके लग चुके हैं।

राज्य में तीन लाख नौ हजार 334 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 17 हजार 172 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 52 लाख दस हजार 068 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 41 लाख 74 हजार 789 नागरिकों को पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 45 हजार 714 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 29 हजार 897 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 17 लाख 48 हजार 292 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के एक लाख 78 हजार 458 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 89 प्रतिशत तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 31 प्रतिशत नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है।

चार पहिया वाहन में गांजा तस्करी करते पांच गिरफ्तार, 4 लाख 38 हजार का गांजा जब्त

» अलग-अलग नंबर प्लेट लगाकर वाहन में करते थे गांजा तस्करी

» सभी आरोपी उड़िसा के रहने वाले है

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के खरोरा इलाके में पुलिस ने महेन्द्रा वाहन में गांजा तस्करी करते 5 लोगों को गिरफ्तार कर वाहन से 73 किलों गांजा जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को दोपहर 3 बजे के करीब ग्राम बुडेरा कान्हा ट्रेडर्स के सामने आजाद चौक आरंग रोड में वाहनों की चेकिंग प्वाईन्ट लगाकर जांच करने के दौरान आरंग की ओर से बुडेरा की ओर जा रही मुखबीर द्वारा दिए गए नंबर की सफेद गाड़ी महिन्द्रा टीयूवी सीजी 04 एलटी 9400 को घेराबंदी कर पकड़ने पर वाहन में 3 बोरे में भरा 73 किलों गांजा अनुमानित कीमत 4 लाख 38 हजार एपं टीयूवी वाहन को जब्त की है। वाहन में सवार पांच लोगों से पुछताछ करने पर उन्होंने पुलिस को अपना नाम बलराम दौरा पिता भास्कर दौरा 34 वर्ष निवासी गोकरणपुर थाना दिगापोहदी जिला गन्जाम उडीसा , रंजीत सिग बाहुक पिता लाल सिग बाहुक 31 वर्ष निवासी पाइकमाल थाना पाइकमाल जिला बरगढ़ उडीसा,टिकेलाल भाटी पिता गुरेख भाटी 35 वर्ष निवासी इच्छापुर थाना डोगरीपाली जिला सोनपुर उडीसा,राजेन सेठ पिता रंकमणी सेठ 37 वर्ष निवासी अगलपुर थाना लोईसिगा जिला बालागीर उडीसा 5.दिलेश्वर दौरा प्रफुल दौरा 27 वर्ष निवासी उचबहाल थाना लोईसिगा जिला बालागीर उडीसा बताया है। आरोपियों के कब्जे से 2 अलग-अलग नंबर का नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट की धारा 20 बी के तहत कार्रवाही की गई है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथा में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

हाथियों से होने वाले नुकसान से बचाने खुले में धान रखने का प्रयोग सफल होता दिख रहा

» सुरजपूर वनमंडल में तीन अलग-अलग स्थानों में हाथियों के दल ने खुले में रखा धान खाया

रायपुर (आरएनएस)। हाथियों से मानव को होने वाली हानि को रोकने गांवों में हाथियों के दल के लिए खुले स्थान पर धान रखने का जो प्रयोग किया गया है, वह सफल होता दिख रहा है। प्रदेश के तीन अलग-अलग वनमंडलों में खुले स्थान पर धान रखा गया था। इसमें से सुरजपूर वनमंडल के तीन स्थानों पर हाथियों के दल ने 14 क्विंटल धान खाया है।

प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाथियों से होने वाले नुकसान को रोकने किए जा रहे प्रयास के संबंध में आज मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश के सुरजपूर, धरमजयगढ़, बालोद वनमंडल में अलग-अलग स्थानों पर खुले में धान रखा गया था। इसमें से सुरजपूर वनमंडल के बंशीपूर 1682, 1683 में हाथी ने 04 क्विंटल धान खाया है। इसी तरह टुकुडांड 43 में 04 क्विंटल तथा बगड़ा पी-9 में हाथी ने 06 क्विंटल धान खाया है।

मंत्री अकबर ने बताया कि इस समय 16 हाथियों का दल कुल 307 हाथी राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रमुख रूप से रेहन, तमोर पिंगला, बादलखोल अभ्यारण, प्रतापपुर, रघुनाथपुर, तपकरा, कुनकुरी, मनोरा, दुलदुला, छाल, धरमजयगढ़, कापू, लैलूंगा, बोरा, बाकारूमा, कुदमुरा, करतला, पसांद, कटघोरा, रायगढ़ घरघोड़ा, तमनार, बलोद, मैनपुर, कोठारी, में विचरण कर रहें हैं। अब तक 09 हाथियों की रेडियो कालरिंग की गई है। हाथी मानव द्वंद रोकने के लिए हाथियों के आगमन की पूर्व सूचना गांवों में वायरलेंस, मोबाईल, एवं माईक से मुनादी कर प्रसारित करना एवं ग्रामीणों को हाथियों के साथ साहचर्य बनाने हेतु समझाईस दिया जा रहा है। प्रभावित ग्रामीणों को समय-समय पर मुआवजा भुगतान किया गया है।

वन मंत्री ने जानकारी दी कि बहुद्देश्यीय गजराज वाहन के उपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाया जा रहा है आवश्यकतानुसार गांव में हाथी मित्र आदि का गठन किया गया है। आकाशवाणी कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के माध्यम से प्रतिदिन सायं 05.30 बजे हाथियों के संभावित विचरण का प्रसारण हो रहा है। हाथियों के आगमन की जानकारी विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त करने इंटरनेट का उपयोग भी किया जा रहा है।